मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान / कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :— शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

महावीर बनाम बिदामी आदि

दावा बाबत :- 88, 89 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 118/2021

निर्णय दिनांक :- 18/11/2021

वादी की ओर से वकील विनोद पूनिया की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/11/21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 123/113 के खसरा नम्बर 287, 291/3 इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 10.737 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 3 KRP के खाता संख्या 79/61 के मु.नं. 88 की कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बिदामी ने अपना हक व हिस्सा वादी व दीगर प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग कर अपना हिस्सा शून्य कर लिया है। अत: उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी बिदामी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11, 12 व 13 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)